भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.3897

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 24 मार्च, 2017/3 चैत्र, 1939 (शक) को दिया जाना है)

शहरी निगमित बैंकों को कर रियायत

3897. श्री परेश रावलः

श्री सी. आर. पाटीलः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आयकर अधिनियम की धारा 80 (पी) के अंतर्गत प्रदान की गई रियायत को समाप्त किए जाने के कारण शहरी सहकारी बैंकों को उन निधियों से वंचित कर दिया गया है जिन्हें अन्यथा वे शहरी समाज के लघु व्यापारियों, पेशेवरों और मध्यम वर्ग को ऋण के रूप में दे सकते थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रियायत समाप्त किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इस मुद्दे पर पुनः विचार कर रही है और आयकर अधिनियम की धारा 80 (पी) के अंतर्गत शहरी सहकारी बैंकों को रियायत देने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) तथा (ख): प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) या प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (पीसीएआरडीबी) को छोड़कर अन्य सहकारी बैंकों से, जो उन्हें आयकर अधिनियम, 1961 (इस अधिनियम) की धारा 80पी के अंतर्गत छूट दी गई थी उसे वित्त विधेयक, 2006 के द्वारा वापस ले लिया गया है। इसके निम्नलिखित कारण हैं:-

(i) ये सहकारी बैंक अन्य बैंकों की तरह ही होते हैं और इनमें पारस्परिकता का सिद्धांत लागू नहीं होता है क्योंकि उनका कार्यक्षेत्र गैर-सदस्यों तक भी फैला होता है।

(ii) इनमें से अधिकांश बैंक स्टैन्डर्ड बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं जैसे कि साख पत्र (लेटर्स ऑफ क्रेडिट) को खोलना, बिल डिस्काउन्टिंग और कलेकशन, लॉकर और सेफ डिपोजिट वॉल्ट्स, बैंक गारन्टी आदि इनमें से अधिकांश में विदेशी विनिमय का भी काम होता है और इन्होंने अपना एटीएम कियोस्क भी खोले हैं। इस प्रकार ये बैंक वाणिज्यिक बैंकों से भिन्न नहीं है, अतः इनको कर संबंधी वरीयता दिए जाने की जरूरत नहीं होती है।

(iii) आयकर किसी लाभ पर लगाया जाना वाला कर होता है और किसी लाभ प्राप्त करने वाले सहकारी बैंकों को आयकर के भुगतान से छूट दिए जाने का कोई औचित्य नहीं होता है।
चूंकि सहकारी बैंक उन अन्य बैंकों की तरह होते हैं जिनको इस अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत छूट नहीं दी जाती है। अतः इन बैंकों से धारा 80पी की छूट को वापस लेने का यह मतलब नहीं होता है कि इन सहकारी बैंकों को इनके कोष से या इनके किसी विस्तार से वंचित कर दिया गया है।

(ग) तथा (घ) जी नहीं, अभी सरकार उपर्युक्त कारणों से मुद्दे पर विचार नहीं कर रही है।

*****